निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1265) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० वि०स०वि०—07/2025—3093/वि०स०——"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025", जो बिहार विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम—116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-04/2025]

बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025
बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–
   (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
   (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,–
      (क) धारा 6 दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत होगी ;
      (ख) धारा 2 से धारा 5 तथा धारा 7 से धारा 15, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 2 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,––

(i) खंड (61) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (69) में,––
   (क) उपखंड (ग) में "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द रखे जाएंगे ;
   (ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
   '**स्पष्टीकरण**–– इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,––
      (क) **"स्थानीय निधि"** से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;
      (ख) **"नगरपालिका निधि"** से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
   '(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है ;'।

3. **धारा 12 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

4. **धारा 13 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

5. **धारा 17 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**स्पष्टीकरण 2**––खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" लगाया जाएगा तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।'।

6. **धारा 20 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,––

(i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

7. धारा 34 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौति अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि——

(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

8. धारा 38 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 38 में,——

(i) उपधारा (1) में "स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,——

(क) "के अधीन स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा

(ग) खंड (ख) में, "उक्त ब्यौरे" के पश्चात "सहित" शब्द रखा जाएगा

(घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :——

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।"।

9. धारा 39 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 107 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"

11. धारा 112 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"

12. नई धारा 122ख का अंतःस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"122ख. खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति।—

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रूपए की रकम के समतुल्य या ऐसे माल पर संदेय कर की दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।"

13. नई धारा 148क का अंतःस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"148क. कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि—

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,——

(क) माल ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,——

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी ;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति –

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाएगा ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा ;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित हैं, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो विहित की जाए।"

14. **अनुसूची 3 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,––

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्––

"(क क) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुफ्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति "

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, "पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए" शब्दों और अंक के स्थान पर, "पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :–

'**स्पष्टीकरण 3**–– पैरा 8 के खंड (क क) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भंडागार क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।'

15. **संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं।**– सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता, यदि धारा 14 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्त्ती या गैर–आवर्त्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सम्राट चौधरी)
भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 लागू किया गया है।

बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रस्तुत अनुशंसाओं को संसद द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 में शामिल करते हुए पारित किया जा चुका है तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 29 मार्च, 2025 को यह प्रकाशित भी किया जा चुका है।

चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना वांछनीय है।

प्रस्तावित विधेयक में दस धाराओं में तथा एक अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है। साथ ही दो नयी धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(सम्राट चौधरी)
भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक–22.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1265-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in